

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन  
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

क्रमांक- 221 / 187 / आउशि / बजट / 18  
प्रति

भोपाल, दिनांक 7/2/2019

प्राचार्य,  
शासकीय महाविद्यालय,  
(नीचे दर्शाये अनुसार)  
मध्यप्रदेश।


विषय:- मजदूरी, संविदा-आउटसोर्स एवं आकस्मिकता निधि मद अंतर्गत बजट आबंटन- वित्तीय वर्ष 2018-19

विषयान्तर्गत निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों को मजदूरी, संविदा-आउटसोर्स, आकस्मिकता निधि अन्तर्गत स्वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु उनके नाम के समक्ष अंकित अनुसार राशि का बजट आवंटन स्वीकृत किया जाता है :-

| क्र. | महाविद्यालय का नाम                                   | पत्र क्रमांक एवं दिनांक    | बजट शीर्ष 44-2202-03-103-0101-0798- | आवंटित राशि    |
|------|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1    | शा.पी.जी.महावि.बालाघाट                               | 143 / 16.1.19              | 0798-19-001 आकस्मिक कर्म. का वेतन   | 90000          |
| 2    | शा.मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय भोपाल                 | 3791 / 18.12.18            | 0798-12-000 मजदूरी                  | 350000         |
| 3    | शा.महावि.पिपलिया मण्डी जिला मंदसौर                   | 25 / 18.1.19               | 0798-12-000 मजदूरी                  | 220000         |
| 4    | शा. विज्ञान एवं वाणिज्य महावि. (पुराना बेनजीर) भोपाल | 1471 / 18.10.18            | 0798-12-000 मजदूरी                  | 300000         |
| 5    | शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी                  | 3073 / 20.11.18 / 14.12.18 | 0798-12-000 मजदूरी                  | 156000         |
| 6    | शा.कला-विज्ञान महाविद्यालय रतलाम                     | 419 / 3.1.19               | 0798-12-000 मजदूरी                  | 115000         |
| 7    | शा.महावि.अंजड जिला बड़वानी                           | 51 / 18.01.19              | 0798-12-000 मजदूरी                  | 118486         |
| 8    | शा.कन्या महावि.रतलाम                                 | 1802 / 1.2.19              | 0798-12-000 मजदूरी                  | 19250          |
| 9    | शा.महावि.बुरहानपुर                                   | 21 / 10.19                 | 0798-12-000 मजदूरी                  | 148407         |
| 10   | शा.महावि.बाबई जिला होशंगाबाद                         | 34 / 17.1.19               | 0798-12-000 मजदूरी                  | 77000          |
| 11   | शा.महावि.लटेरी जिला विदिशा                           | 331 / 30.09.18             | 0798-12-000 मजदूरी                  | 160000         |
| 12   | शा.महावि.देवतालाब जिला रीवा                          | 272 / 14.1.19              | 0798-12-000 मजदूरी                  | 45000          |
| 13   | शा.महावि.इन्द्रगढ़ जिला दतिया                        | 148 / 26.12.18             | 0798-12-000 मजदूरी                  | 200000         |
| 14   | शा.महावि.सुसनेर जिला आगरा                            | 178 / 5.1.19               | 0798-12-000 मजदूरी                  | 74000          |
|      | <b>कुल योग</b>                                       |                            |                                     | <b>2043173</b> |

2. आबंटित राशि का व्यय उपरोक्त उल्लेखित बजट शीर्ष अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट से विकलनीय होगा।
3. संबंधित मद से, राशि आहरण के पूर्व तथा कर्मचारियों का वेतन भुगतान करने से पूर्व अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित कर्मचारी शासन द्वारा जो पद स्वीकृत है, उसी के अनुसार तथा नियमानुसार कार्यरत हो।
4. आहरण करते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग एवं इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
5. जिन शासकीय महाविद्यालय को डी.डी.ओ.कोड आबंटित नहीं है, उनकी राशि संबंधित शासकीय अग्रणी महाविद्यालय के डी.डी.ओ.कोड में अपलोड की गई है। अतः संबंधित अग्रणी महावि. के प्राचार्य से संपर्क कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
6. आबंटित राशि से अधिक राशि का व्यय नहीं किया जावे।
7. किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।


**"आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"**

  
संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0क0-222 / 187 / आउशि / बजट / 18  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 7/21/2019

1. विशेष सहायक मान.मंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
  2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी मध्यप्रदेश ग्वालियर
  3. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
  4. संबंधित प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
  5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, अराज. स्थापना शाखा-3 कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल
  6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, योजना शाखा कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल
  7. संबंधित कोषालय / उपकोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।
- .....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश